भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2075

बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया योजना

2075. श्री गोपाल शेट्टी:
श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार्टअप इंडिया योजना और डीपीआईआईटी के पास पंजीकृत स्टार्टअपों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभों सहित उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा पंजीकृत स्टार्टअपों को जिला-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्टार्ट-अप के माध्यम से अथवा स्टार्टअप इंडिया योजना की सहायता से वर्ष-वार कितने व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स हेतु मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

स्टार्टअप इंडिया सरकार की कोई योजना नहीं है बल्कि एक पहल है। दिनांक 19 फरवरी, 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ) में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से 30 अप्रैल, 2023 तक डीपीआईआईटी ने 98,119 कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(ख): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास कर रही है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एक कार्य योजना की शुरूआत की, जिसमें देश में गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के लिए परिकल्पित स्कीमों और प्रोत्साहनों को शामिल किया गया हैं। इस कार्य योजना में 19 कार्य मदें शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं जैसे "सरलीकरण एवं सहायता", "निधीयन सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी और इंक्यूबेशन"।

प्रमुख स्कीमें नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं ताकि स्टार्टअप को उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके जहां वे एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में सक्षम हो सकें। सरकार, वार्षिक कार्य और कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती है जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के सम्पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारतीय स्टार्टअप्स की भागीदारी और संलग्नता को भी सुविधाजनक बनाती है। सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) को अधिसूचित किया है। सीजीएसएस का उद्देश्य सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए जाने वाले ऋण के एवज में एक निश्चित सीमा तक क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराना है ताकि पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं अर्थात् उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्राप्त इकाइयों को वित्तपोषित किया जा सके। सीजीएसएस राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह स्कीम हाल ही में 01 अप्रैल, 2023 से शुरू हुई है।

30 जून, 2023 की स्थिति के अनुसार, एनसीजीटीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सीजीएसएस के तहत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गारंटियों का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**गारंटी की संख्या**	**जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)**
दिल्ली	1	1.80
हरियाणा	4	10.30
केरल	1	4.00
मध्य प्रदेश	1	0.30
महाराष्ट्र	1	4.00
उत्तर प्रदेश	2	10.00
कुल	**10**	**30.40**

(घ) : पिछले तीन वर्षों अर्थात 2020, 2021 और 2022 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा सृजित प्रत्यक्ष नौकरियों (स्व-रिपोर्ट) का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा सृजित नौकरियों की संख्या (स्व-रिपोर्ट)**
2020	1,59,803
2021	2,01,144
2022	2,70,196

*****

अनुबंध-I

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2075 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

30 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त कुल स्टार्टअप का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43
आंध्र प्रदेश	1,554
अरुणाचल प्रदेश	25
असम	879
बिहार	1,774
चंडीगढ़	335
छत्तीसगढ़	1,017
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	41
दिल्ली	10,812
गोवा	391
गुजरात	7,357
हरियाणा	5,161
हिमाचल प्रदेश	317
जम्मू और कश्मीर	540
झारखंड	908
कर्नाटक	11,080
केरल	4,251
लद्दाख	7
लक्षद्वीप	2
मध्य प्रदेश	3,010
महाराष्ट्र	17,981
मणिपुर	108
मेघालय	32
मिजोरम	15
नागालैंड	39
ओडिशा	1,783
पुदुच्चेरी	95
पंजाब	1,006
राजस्थान	3,290
सिक्किम	10
तमिलनाडु	5,940
तेलंगाना	5,157
त्रिपुरा	82

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या
उत्तर प्रदेश	9,058
उत्तराखंड	814
पश्चिम बंगाल	3,205
कुल	**98,119**

****

अनुबंध-II

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2075 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. **स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना:** स्टार्टअप इंडिया के लिए 16 जनवरी, 2016 को एक कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस कार्य योजना के अंतर्गत "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण समर्थन और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शैक्षिक साझेदारी और इंक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैली 19 कार्य मदें शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी।
2. **स्टार्टअप्स के लिए निधियों का निधि (एफएफएस) स्कीम:** सरकार ने स्टार्टअप्स की निधियन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की निगरानी एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, शुरुआती स्तर और विकास स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बलकि घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नए वेंचर कैपिटल फंडों को बढ़ावा दिया है।
3. **स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस):** सरकार ने सेबी द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड्स (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
4. **विनियामक सुधार:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और स्टार्टअप परिवेश पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 50 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।
5. **अधिप्रापति को आसान बनाना:** अधिप्रापति को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्रापति में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए सरकार को सीधे उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए एक समर्पित मंच है।
6. **बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता:** स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरुआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिए उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट डिजाइन तथा व्यापार चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य परामर्श तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती

है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

7. **<u>श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन:</u>** स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।
8. **<u>3 वर्ष के लिए आयकर में छूट:</u>** 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उन्हें निगमन से लेकर 10 वर्ष की अवधि के दौरान लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर से छूट मिलती है।
9. **<u>भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच</u>:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक, विभिन्न संपर्क मॉडलों के जरिए भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार से सरकार के बीच भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जरिए किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 17 से अधिक देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।
10. **<u>स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास</u> :** सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए निर्धारित 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर प्रचालन का समापन करने में सक्षम होते हैं।
11. **<u>स्टार्टअप इंडिया हब</u> :** सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है, जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वे एक-दूसरे का पता लगा सकें, परस्पर जुड़ सकें और मिलकर कार्य कर सकें। यह ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इंक्यूबेटर्स, कार्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।
12. **<u>अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) (ख) के प्रयोजन के लिए छूट (2019):</u>** डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप, आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii)(ख) के प्रावधानों से छूट के पात्र हैं।
13. **<u>स्टार्टअप इंडिया शोकेस</u> :** स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए, देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग, अन्य के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। परिवेश संबंधी हितधारकों ने इन स्टार्टअप को पोषित किया है और सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति के महत्व को रेखांकित किया है।
14. **<u>राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद</u> :** सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
15. **<u>स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह</u> :** स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह का शुभारंभ 16 जनवरी, 2021 को किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने

में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों का क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।

16. **<u>स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) :</u>** किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए बने रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अतंर्गत 945 करोड़ रूपए मंजूर किए गये हैं।
17. **<u>राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) :</u>** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेबलर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की पहल है, जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विस्तारयोग्य उद्यमों का विकास कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपत्ति सृजन की अत्यधिक क्षमता है और जो माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को विभिन्न मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कार्पोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस आदि के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।
18. **<u>राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ) :</u>** यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है। रैंकिंग करने का प्रमुख उद्देश्य, बेहतर कार्य पद्धतियों की पहचान करने, उनसे सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा किए गए नीतिगत कार्यकलापों पर प्रकाश डालने और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
19. **<u>दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन</u>:** : दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला स्टार्टअप चैंपियन कार्यक्रम, एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर के मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर किया जाता है। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अंग्रेज़ी में प्रसारित किया गया है।
20. **<u>स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह</u> :** सरकार, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधीयन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह में एक साथ लाना है।
21. **<u>स्टार्टअप इंडिया इनवेस्टर कनेक्ट पोर्टल</u>** जिसे सिडबी के साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है, एक अंतर्वर्ती प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो स्टार्टअप्स और निवेशकों को आपस में जोड़ता है ताकि विभिन्न उद्योगों, संचालनों, स्तरों, क्षेत्रों तथा पृष्ठभूमि से जुड़े उद्यमियों को पूंजी एकत्र करने में सहायता प्रदान कर सके। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य, विशेष रूप से देश में किसी भी स्थान पर स्थित शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स को अग्रणी निवेशकों/वेंचर कैपिटल फंड के समक्ष खुद को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है। वर्तमान में, 82 वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ) तथा 1900 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्लेटफॉर्म पर पहले ही पंजीकरण कर चुके हैं।
22. **<u>नेशनल मेंटरशिप पोर्टल (मार्ग) :</u>** देश के सभी हिस्सों में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की उपलब्धता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मेंटरशिप, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ीकरण और विकास (मार्ग) कार्यक्रम का विकास और शुभारंभ किया गया है।

23. **<u>एसेन्ड</u>:** एसेन्ड (स्टार्टअप क्षमता और उद्यमियता उत्साह को बढ़ाना) के तहत सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के स्टार्टअप्स और उद्यमियता के संबंध में जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य उद्यमियता के प्रमुख पहलुओं के संबंध में क्षमता बढ़ाना एवं ज्ञान में वृद्धि करना तथा इन राज्यों में एक सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम का सृजन करने के लिए निरंतर प्रयास करना है।

24. **<u>स्टार्टअप20 इंगेजमेंट ग्रुप</u>:** स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत के विश्वास के परिणामस्वरूप, भारत की जी20 की अध्यक्षता के अंतर्गत एक स्टार्टअप20 इंगेजमेंट ग्रुप को संस्थागत किया गया है, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सामंजस्य और अंत:सहयोग की दिशा में कार्य कर रहा है। यह इंगेजमेंट ग्रुप वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की आवाज के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार एक साझा मंच पर विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है। इस ग्रुप का उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट्स, निवेशकों, नवप्रयोग एजेंसियों और अन्य प्रमुख इकोसिस्टम हितधारकों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करके स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना तथा वैश्विक रूप से परस्पर सहयोग को आगे बढ़ाना है।

*****